

प्रेषक,

सी. बी. पालीवाल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2013

विषय : विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत नागर निकायों में स्थापित एसटीपी के संचालन का औचक निरीक्षण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विभिन्न स्रोतों से शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत नागर निकायों में स्थापित किए गए एसटीपी सुचारु रूप से संचालित नहीं किए जा रहे हैं। अतः विभिन्न नागर निकायों में स्थापित एसटीपी का नियमित औचक निरीक्षण माह में कम-से-कम दो बार किया जाना अत्यावश्यक है।

2- उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के स्थानीय नागर निकायों में स्थापित एसटीपी का प्रत्येक माह में कम-से-कम दो बार औचक निरीक्षण निम्नवत् करने का कष्ट करें-

(1) नगर निगमों में स्थापित एसटीपी के संचालन का औचक निरीक्षण सम्बन्धित नगर आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

(2) नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में स्थापित एसटीपी का औचक निरीक्षण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

3- कृपया नागर निकायों में स्थापित एसटीपी के औचक निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण आख्या एवं तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना शासन को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

(सी० बी० पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1682(1)/नौ-5-2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- एसएलएनए/निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 3- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उ०प्र० लखनऊ।
(द्वारा जिलाधिकारी)
- 4- कम्प्यूटर सेल, नगर विकास (वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु)।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

29/3/2013
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।